



प्राथमिक शिक्षा का सामाजिक एवं विकासात्मक परिप्रेक्ष्य

□ डॉ० वृजेश कुमार मिश्रा

सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने की अवधारणा ने चार दशक पहले जन्म लिया था, जब विकसित एवं विकासशील देशों में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने की चुनौती से समान रूप से जूझ रहे थे। “यूनिवर्सल डिक्लेरेटिव ऑफ ह्यूमन राइट्स” के माध्यम से दुनिया भर के देशों ने जोर देकर कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, दुनिया के कोने-कोने में इस बात को स्वीकार किया गया कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है लेकिन इसके फलस्वरूप इस अधिकार को सर्वसुलभ बनाने का नारा खोखला ही साबित हुआ। आज स्थिति यह है कि लगभग 07 करोड़ से अधिक लड़कियों समेत लगभग 12 करोड़ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मुंह तक देखना नसीब नहीं हुआ है तथा लगभग 98 करोड़ से अधिक व्यस्क अंगूठा छापे जा रहे हैं और इनमें से करीब दो तिहाई तो महिलायें ही हैं। काम चलाऊ साक्षरता का लक्ष्य आज भी सभी देशों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। तमाम नारों, शिक्षा-सम्मेलनों, सेमिनारों या परिचर्चाओं के बावजूद दुनिया की एक तिहाई आबादी की पहुँच मुद्रित अक्षर तक नहीं होती है। यानि कि इन लोगों को ऐसी नयी प्रौद्योगिकी या नये कौशलों का भी पता नहीं चलता, जिनसे इनका जीवन स्तर सुधरने की सम्भावनायें होती हैं।

गान्धी जी ने कहा था, “व्यक्ति की सच्ची शिक्षा इन्द्रियों तथा भारीर के अंगों के ठीक अभ्यास और शिक्षण से ही हो सकती है।” अर्थात् इन्द्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से बालक की बुद्धि के विकास का उत्तम और लघुतम मार्ग मिलता है, परन्तु जब तक मस्तिष्क एवं भारीर का विकास साथ-साथ न हो केवल बुद्धि के एकांगी विकास से कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। आजादी के बाद हम गान्धी शिक्षा दर्शन को एकदम भुला बैठें, हमने कभी नहीं समझा, ऊँची फीस वाले भाहरी स्कूलों में तो आज भी भासक तराफ जा रहे हैं। स्पष्ट है उन्हें हाथ के काम नहीं

देने के बाकी मध्यम स्तर के स्कूल क्लर्कों या ज्यादा से ज्यादा प्रोबेशनरी अफसरों की भीड़ तैयार कर रहे हैं। भोष जो स्कूल बचते हैं वे लड़कों को फेल करने या तृतीय श्रेणी के पास कर बेरोजगार सेना बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अतः कोई भी शिक्षा को सम्पूर्णता में नहीं ले रहा है, जबकि गान्धी जी तो स्कूल के छः घण्टों में से केवल दो घण्टे किताबी शिक्षा को देना चाहते हैं।

सर्व शिक्षा : प्रत्यय एवं स्थिति – यह ठीक है कि आज की भारतीय शिक्षा की जड़ें मैकाले नीति में गहरे बैठी हैं। पर यह भी उतना ही सही है कि शिक्षाविदों के बार-बार सचेत करने के बावजूद आजादी के बाद के शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति एवं व्यक्ति तथा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक वर्गों और क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं को कम करना है जिससे विघटनकारी तनावों में कमी आ सके। यह कथन भी गलत नहीं होगा कि शिक्षा मानव समाज को विकास प्रदान करने वाली क्रिया है। एक तरफ इससे लोगों की प्रवृत्तियों और ज्ञान-विज्ञान एवं कार्यकुशलता का सूत्रपात होता है तो दूसरी ओर किसी देश की विशेष के इतिहास चिन्तन एवं कार्य स्वरूप को अस्मिता प्राप्त होती है। साथ ही इसके द्वारा मानव संसाधनों का विकास होता है, जिसका अन्य सभी संसाधनों पर चहुँमुखी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा विकास के लिए एक अनिवार्य तत्व है।

नये भारत की जरूरतों को देखते हुए जो सुधार आयोग बँटायें गये, उनकी सिफारिशों को भी नजर अंदाज कर दिया गया। 1986 के कोठारी आयोग की सिफारिशों में कहा गया था, “एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।”

शिक्षा के क्षेत्र में जो घोर अराजकता व्याप्त है और विषमता छाई है, उसकी भी इस आयोग ने आलोचना की। इसलिए इसने भी कालेज स्तर पर समानता की वकालत की तथा ऐसे स्कूलों की

स्थापना किये जाने पर बल दिया, जिनमें जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, धर्म और आर्थिक व सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये,

प्रवे 1 न दिया जाय। जन सम्पत्ति या वर्ग के आधार पर बेहतरीन शिक्षा में प्रवे 1 होने के बजाय प्रतिभा के आधार पर प्रवे 1 हो, किसी तरह की द्यू, इन फीस न हो और सभी स्कूलों का स्तर समान और अच्छा हो ताकि किसी को प्राइवेट स्कूल खोलने या अपने बच्चों को मंहगे स्कूल में भेजने की परिकल्पना की गयी अर्थात् एक इलाके के स्कूल में उस इलाके के सभी बच्चे पढ़ने आये। इसमें प्रवे 1 के समय किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाय। इस आयोग ने सार्वभौमिकीकरण के लिए त्रिभाषा सूत्र दिया, लेकिन कभी भी इसकी सिफारिशों को गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया गया।

कोठारी आयोग की सिफारिशें यद्यपि कोई बहुत क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं सुझा पायी, परन्तु फिर भी, जो सुझाव दिये गये थे उनका पच्चीस प्रतिशत भी ईमानदारी से लागू हो जाता तो हमारी स्कूल शिक्षा काफी हद तक सुधर गयी होती। वास्तव में, पारंपरिक समाजों में शिक्षा व्यवस्था भले ही कितनी उन्नत क्यों न रही हो, उसकी पहुंच कुछ लोगों तक ही सीमित होती थी, वह बहुत थोड़ी संख्या में भद्रजन तैयार करती थी। वह ऐसे लोग तैयार करती थी, जो स्वयं काम न करके अनपढ़ों, अशिक्षितों के जरिये काम

करवाते थे। अर्थात् उत्पादन प्रणाली और शिक्षा में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। मैकाले भारत में अंग्रेजी राज के दौरान इसी शिक्षा का प्रवर्तक था, लेकिन इसके विपरीत औद्योगिक समाजों और शिक्षा का सम्बन्ध उत्पादन प्रक्रिया से होता है। राष्ट्रीय उत्पादन एवं विकास प्रक्रिया में शिक्षित लोग भी अपना योगदान प्रदान करते हैं। ऐसे समाजों में अशिक्षित लोग बोझ समान लगते हैं क्योंकि अब मशीन चलाने के लिए भी पढ़े लिखे आदमी की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा का प्रसार का अर्थ है, राष्ट्रीय उत्पादन में विस्तार, इसलिए शिक्षा और विकास का अन्योन्याश्रित रिश्ता है। आज की दुनिया में ज्यादातर देश इसी दौर से गुजर रहे हैं। अशिक्षित रहकर वे विकास की दौड़ में कैसे भागिल हो सकते हैं। सच्चाई यह है, कि गांधी जी ने 66 साल पहले ही हमें शिक्षा को उत्पादन से जोड़ने की सलाह दे दी थी, लेकिन हमारे भासकों ने गांधी के बजाय मैकाले से ही जुड़े रहना पसंद किया जिसका फल हम आज भुगत रहे हैं और हमारी भावी पीढ़ियां भी भुगतेंगी।

लेकिन इस अस्थिरता के माहौल में आज भी हम कुछ सीमा तक अपने लक्ष्यों को पूर्ण कर ही रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान, जनशाला, पाठशाला आपके द्वारा, वर्चुअल स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग आदि योजनाएं हमें हमारे उद्देश्यों को पूर्ण करने की ओर ले जा रही हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उक्त कार्यक्रमों के परिणाम में कुछ तीव्रता अवश्य आयी है।

तालिका-01

प्राइमरी शिक्षा में 1999 से अब तक की वृद्धि

संकेतक	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2004-2005
विद्यालय	642000	767520
शिक्षक	1919000	23108000
नामांकन	113.61 (मिलियन)	131.69 (मिलियन)
व्यय (जी0डी0पी0) प्रति शिशु में	3.77	3.74

प्राथमिक शिक्षा पर सरकारी नीतियों का अधिक जोर है, इसलिए अब तक चली आ रही मिड-डे-मील योजना को प्राथमिक स्तर से बढ़ाकर जूनियर स्तर तक किया जाना प्रस्तावित हुआ है। एक तरफ बालकों के शिक्षण एवं पोषण के लिए आंगनबाड़ी का संचालन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पैरा टीचर्स, वंचितों की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे

1999-2002 से वर्ष 2004-2005 तक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गयी है। वहीं अध्यापकों एवं छात्रों के नामांकन पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिला है। मिड-डे-मील तथा छात्रवृत्ति योजना ने जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, तथा पिछड़ों एवं बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि दर्ज करायी है, वहीं बी0एड0 डिग्रीधारकों को 6

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण के अवसर भी सरकारी नीतियों की देन ही है।

सबके लिए प्राथमिक शिक्षा या जनशिक्षा: 'सबके लिए शिक्षा का नारा' भले ही 'शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण' नारे से निकला हो तथा प्रकारांतर से पिछमी देशों के लाभ के लिए ही क्यों न हो, लेकिन आज यह तीसरी दुनिया के देशों के लिए गम्भीर आत्मदर्शन की घड़ी है कि हम किस तरह अपनी आधी से अधिक अशिक्षित जनता को शिक्षित करें? और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलें! यह तो मानना ही होगा कि गरीबी के साथ अशिक्षा का गहरा सम्बन्ध है। यदि हम भी विकसित देशों की दौड़ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हम न केवल शिक्षा को सुलभ बनाना होगा, अपितु उसमें गुणात्मक सुधार भी लाना होगा। वरन् हम उन्नत देशों की दिमागी मंडी बनकर रह जायेंगे। यही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी वि

बैंक और गैर सरकारी संगठन अपनी घुसपैठ लगातार बढ़ा रहे हैं। वे आयें, उनका स्वागत है किन्तु हम पर अपने ढर्रे पर शिक्षा लागू करने की भाँति न थोपें।

उपर्युक्त सभी तथ्यों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा की संरचना में लगातार सुधार एवं उसको आकर्षक तथा सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार अनुसंधान एवं प्रयास किये जा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश का ऋषि वैली प्रोजेक्ट, उत्तरांचल का कुन्जपुरी प्रोजेक्ट, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, 25 स्मार्ट स्कूल बालिकाओं के लिए बालिका प्राथमिक शिक्षा एवं अधिगम के राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या योजना इत्यादि कार्यक्रम बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने तथा एस0सी0, एस0टी0 छात्र एवं छात्राओं का ड्राप-आउट-रेट कम करने में बहुत हद तक कारगर हुये हैं। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं।

तालिका-02

प्राथमिक शिक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों का प्रतिशत

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2002-03	19.52	11.78
2003-04	21.03	10.20
2004-05	20.73	10.69

निष्कर्ष- अन्त में यह कहा जा सकता है कि मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, व्यवस्था के बावजूद क्यों बच्चे पढ़ने नहीं जाते? क्यों वे बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ देते हैं? यहां भी हमें बरबस गांधी ही याद आते हैं। आजादी के बाद किसी भी स्तर पर शिक्षा के बारे में गम्भीरता से विचार नहीं हुआ। आयातित शिक्षा ने लोगों को सुसंस्कृत बनाने के बजाय, उन्हें अपनी जड़ों से ही काट दिया। आठवीं-दसवीं पढ़े-लिखे लड़के भी आज अपने गांव में रहकर खेती-बाड़ी करते हुए भार्म महसूस करते हैं। यह शिक्षा बच्चों को अपने पारम्परिक काम-धंधों से तो काट देती है लेकिन कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं दे पाती। शिक्षित बेरोजगारी की संख्या लगभग 6.5 करोड़ से ऊपर हो गयी है। इसलिए लोगों का शिक्षा व्यवस्था से भयावह मोह भंग

हुआ है। इसलिए गांव-गांव कुकूरमुत्तों की तरह उग आये अंग्रेजी स्कूलों पर लोगों की आँटा टिकी है जो दोगली समाज रचना से अधिक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पर यही सवाल उठता है कि क्या हम ऐसी शिक्षा का विस्तार एवं प्रसार करने में सफल हुये हैं जिससे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो एवं बेरोजगारी घटे। अतः इस बात पर हमें विचार करना होगा कि शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण एवं सबके लिए शिक्षा न केवल एक नारा बनकर रह जाये बल्कि यह समाज की एक आवश्यकता के रूप में सामने आये, जिससे चुनौती पूर्वक निपटा जाये तथा इस नारे को सभी के सहयोग से विकास एवं सफलता की ओर ले जाया जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- | | |
|---|--|
| 1. सिंह, रंगनाथन एवं सेठी 'एजुके इनल रिफार्म्स एण्ड डेवलपमेन्ट स्ट्रेटजीज', पृ० 247।
2. गांधी, एम०के०, 'बेसिक एजुके इन', नवजीवन पब्लि० हाउस, अहमदाबाद, पृ० 68। | 3. ताराचन्द "डेवलपमेन्ट ऑफ एजुके इनल सिस्टम इन इंडिया", 2002 पृ० 133।
4. इग्नू, 'मानवाधिकार एवं समाज विकास', सी०एच०आर० मुद्रित पाठ्य वस्तु 1-5, 2005 पृ० 07, 11, 15, 24, 28।
5. कोठारी आयोग प्रतिवेदन, 1966, पृ० 29। |
|---|--|
